

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936

No. 984]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

का.आ. 1191(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 21 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 210(अ) में '19,65,00,000 रुपए की राशि के 10-10 रुपए के 1,96,50,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के निर्गम के लिए' शब्दों के स्थान पर '20,64,13,880 रुपए की राशि के 10-10 रुपए के 2,06,41,388 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के निर्गम के लिए' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. 16/5/2013-बीओ-II]

तीर्थ राम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st May, 2014

S.O. 1191(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services) number S.O. 210(E), dated 21st January, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), for the words, "to the issue of Preferential allotment of equity shares of the Bank for issue of 1,96,50,000 equity shares of Rs. 10 each amounting to

Rs.19,65,00,000”, the words, “to the issue of Preferential allotment of equity shares of the Bank for issue of 2,06,41,388 equity shares of Rs. 10 each amounting to Rs. 20,64,13,880” shall be substituted and read.

[F. No.16/5/2013-BO-II]

TIRTH RAM, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

का.आ. 1192(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 21 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 211(अ) में ‘20,64,13,880 रुपए की राशि के 10-10 रुपए के 2,06,41,388 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बैंक के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के तहत इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए’ शब्दों के स्थान पर ‘19,65,00,000 रुपए की राशि के 10-10 रुपए के 1,96,50,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बैंक के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के तहत इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं इस प्रकार पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. 16/5/2013-बीओ-II]

तीर्थ राम, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st May, 2014

S.O. 1192(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services) number S.O. 211(E), dated 21st January, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), for the words, “to the issue of equity shares under Qualified Institutional Placement (QIP) of the Bank for issue of 2,06,41,388 equity shares of Rs. 10 each amounting to Rs. 20,64,13,880”, the words, “to the issue of equity shares under Qualified Institutional Placement (QIP) of the Bank for issue of 1,96,50,000 equity shares of Rs. 10 each amounting to Rs. 19,65,00,000” shall be substituted and read.

[F. No.16/5/2013-BO-II]

TIRTH RAM, Under Secy.